रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1846] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 2014/भाद्र 24, 1936
No. 1846] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 15, 2014/BHADRA 24, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2014

का.आ. 2345(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 465 (अ), दिनांक 26–04–2002 द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31सी के 105.00 किलोमीटर से 254.500 किलोमीटर (चालसा से संकोष सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क संग्रहण हेतु सा.का.नि. 838,(अ), दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं और इनमें सा.का.नि. 950 (अ), दिनांक 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), दिनांक 12 जनवरी, .2011, सा.का.नि. 756 (अ), दिनांक 12 अक्तूबर, 2011 और सा.का.नि. 778 (अ), दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 तथा सा.का.नि. 26 (अ), दिनांक 16 जनवरी, 2014 द्वारा संषोधन किए हैं;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, समय–समय पर यथा–संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग–31सी के 228.000 कि.मी. से 254.500 कि.मी. तक सलसाबाड़ी से पश्चिम बंगाल असम सीमा सेक्शन तक को चार लेन का बनाए जाने की परियोजना के अधीन, नीचे सारिणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग के लिए, सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 26.500 कि.मी. {जिसमें 25.574 कि.मी की सड़क और 0.926 कि.मी. की संरचना (जिसकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है और जिसकी समकक्ष लम्बाई 9.26 कि.मी. है, शामिल है} हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''आधार दर" संदर्भित किया गया है) शुल्क उद्ग्रहीत करती है और प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने हेतु प्राधिकृत करती है, अर्थात्;

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीन (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क खण्ड की निवल लम्बाई हेतु, शोध्य और संदेय होगा :

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
राष्ट्रीय राजमार्ग–31सी का 243.000 कि.मी. (जलपाईगुड़ी जिले में गुआबाड़ी)	25.574 (नीचे पैरा–2 में इंगित संरचनाओं की 926 मी. लम्बाई को छोड़कर)	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित ऐसी संरचनाओं जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, का उपयोग किए जाने के लिए संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करते हुए राजमार्ग की समान लम्बाई में परिवर्तित करके निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा :

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित की जाने वाली संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी.)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी.)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
राष्ट्रीय राजमार्ग–31सी का 243.000 कि.मी. (जलपाईगुड़ी जिले में गुआबाड़ी)	0.926	9.26	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

क्रम सं.	संरचना, जिसकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है		
	चैनेज (कि.मी.)		लम्बाई (मीटर)
	से	तक	
1	231.586	231.669	83
2	236.614	236.827	213
3	245.495	245.714	218
4	249.473	249.538	64
5	252.916	253.265	348
जोड़			926

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2014–15 के लिए मासिक पास की दर 225.00 रूपए (दो सौ पचीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे तक
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

5 जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड़ अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. ऐसा यांत्रिक वाहन जिस पर नियमों में उस श्रेणी के लिए विनिर्दिष्ट अनुमेय भार से अधिक भार लदा हुआ है उसे राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने अथवा टोल प्लाजा को पार करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक उस यांत्रिक वाहन पर लदा हुआ अधिक भार हटा नहीं दिया जाता। इस प्रकार, अधिक भार से लदे हुए यांत्रिक वाहन का चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग पर अधिक भार से लदे हुए वाहन को प्रवेश करवाने के लिए नियमों के अंतर्गत उस श्रेणी के यांत्रिक वाहन के लिए लागू दर से दस गुना शुल्क टोल संग्रहण एजेंसी को अदा करने का उत्तरदायी होगा।

7. यांत्रिक वाहनों की प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. ऊपर सारणी–1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 529.27 करोड़ रुपए है। पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है क्योंकि भूमि अर्जन, जनोपयोगी सुविधाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि संबंधी कार्यकलाप अभी पूरे किए जाने बाकी हैं। अंतिम लागत अलग–से अधिसूचित की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के बाद लगाए गए शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संषोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/680/सीओ/14–15/जीसी – सिलीगुड़ी (228.00–254.500)]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2014

S.O. 2345(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 465(E), dated 26-04-2002 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km. 105.00 to km 254.500 (Chalsa to Sankosh Section) of National Highway No. 31C in the State of West Bengal to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838 (E) dated the 5th Dec, 2008, and amended *vide* G.S.R. 950(E), dated 3rd December, 2010, G.S.R. 15(E), dated 12th January, 2011, G.S.R. 756(E), dated 12th October, 2011 and G.S.R. 778(E), dated 16th December, 2013 and G.S.R. 26(E), dated 16th January, 2014 for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the "said Rules"), the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length of 26.500 km. {including 25.574 km. road and 0.926 km. of structure (having length more than 60 m) with equivalent length of 9.26 km } (hereinafter referred to as "base rate") for use of the four and more lane sections on the Type of Vehicles specified in column (1) of Table 1 below, under the project of Four Laning of Salsalabari to West Bengal Assam Border section from km. 228.000 to km. 254.500 of NH-31C in the State of West Bengal and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km. for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for net road length specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km.) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
Km. 243.000 (Guabari in Jalpaiguri district) of NH-31C	25.574 (Excluding 926 m length of structures indicated in Para-2 below)	100% of the base rates mentioned in Table 1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (chainage)	Length of structures* (in km.) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km.)	Rate at which fee is payable
Km 243.000 (Guabari in Jalpaiguri district) of NH-31C	0.926	9.26	100% of the base rates mentioned in Table 1 above

S. No.	Structure having length more than 60 m		
	Chainage (Km.)		Length (m)
	From	To	
1	231.586	231.669	83
2	236.614	236.827	213
3	245.495	245.714	218
4	249.473	249.538	64
5	252.916	253.265	348
Total			926

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the toll plaza is Rs. 225.00 (Rupees Two Hundred Twenty Five only) for the year 2014-15 and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National Permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall not be permitted to use the National Highways for crossing the toll plaza unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person incharge of such overloaded mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle under the Rules.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

9. Based on the Base rate of fee per km. for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

10. The estimated capital cost of the project is Rupees 529.27 crores. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/680/CO/14-15/GC- Siliguri (228.00 – 254.500)]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.